

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समाज पर लक्ष्यरूप से कार्य करने वाली विश्वविद्यालय को नाम दे ही दिया जाये न कि किसी अन्य परामित्तरी के नाम से। सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्व में पर लक्ष्यरूप हुआ हो तो पर क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जाये सिधारे उपदिष्ट है।



नाम : सुनीलदेवि
दूरभाष : 0091 (0751) 2442201
(ग्वालियर)
2442450 (मिनार)
फैक्स : (0091-0751)-2341768
E-mail :
jyoti_gwal@rediffmail.com
Website
http://www.jyoti.edu/

प्रेषक :
कुलसचिव,
जीवाजी विश्वविद्यालय
ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/ 5573


दिनांक : 13/12/12

// अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 07 अगस्त, 2012 को पर क्रमांक (16) के निर्णयानुसार एस.आर.टी. कॉलेज, गोपालपुर, मुरैना को सत्र 2012-13 के लिये प्रस्तावित/संचालित बी.ए. तृतीय वर्ष, (आ.पा. हिन्दी साहित्य, अंग्रेजी साहित्य, राजनीतिशास्त्र, समाजशास्त्र, एवं भूगोल), बी.एड-डी. तृतीय वर्ष, (आ.पा. गणित, रसायन, जंतुविज्ञान, भौतिक, गणित, कम्प्यूटर साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी एवं नागोकैमिस्ट्री), बी.कॉम. तृतीय वर्ष, एन/कम्प्यूटर एप्लीकेशन, बी.बी.ए. तृतीय वर्ष, बी.सी.ए. तृतीय वर्ष, बी.ए. द्वितीय वर्ष, कम्प्यूटर एप्लीकेशन, अति.वि. पाठ्यक्रम के लिये अस्थाई सम्बद्धता निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

शर्तें एवं प्रतिबंध :-

1. प्राचार्य एवं शिक्षकों की जो नियुक्ति 28(17) में की गई है उन्हें कार्यपरिषद् से अनुमोदित करावें।
2. महाविद्यालय हेतु जो शुल्क सौदागरी के नाम है उस पर भव्य बकाया शीघ्र शिष्ट करें।
3. अन्वयगत में रु. 25,000/- के माध्यम शीर्षक जमा करें।
4. कम्प्यूटर हेतु बी.सी.ए. से सम्बन्धित साफ्टवेयर जमा करें।
5. शिक्षकों को वेतन बैंक / बैंक के माध्यम से प्रदान करें।
6. परिशिष्ट 27, 28 का पालन सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार

कुलसचिव

प्रति,

1. प्राचार्य, एस.आर.टी. कॉलेज, गोपालपुर, मुरैना
2. आयुक्त, गणप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
3. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, गणप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-बंबल संभाग, गोती गतल परिसर, ग्वालियर।
4. उप-कुलसचिव (परीक्षा/नोमिनॉन) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
5. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनाएं एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


सहायक कुलसचिव (सम्बद्धता)